न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:–88 आरटीए
प्रकरण संख्या:–96/2019

1. रामप्रताप पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. कृष्ण
2. भूप
3. ओमप्रकाश
4. राजेन्द्र

} पुत्रगण हनुमान जाति कुम्हार निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5. गीता पुत्री हनुमान पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार निवासी करडू तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. शान्ति पुत्री हनुमान पत्नी इमीलाल जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. राणी पुत्री हनुमान पत्नी पालाराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर। प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री जगदीश प्रसाद वर्मा अधिवक्ता वादी
श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 05-07-2019

वादी रामप्रताप ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यांयालय में पेश किया कि चकनं0 19 जीजीआर के खाता सं0 140 में प0न0 179/277 मु0 29 किलानं0 25/.253, प0न0 179/278 मु0 30 किलानं0 4 से 5/.506 है0, कुल भूमि 0.759 है0 नहरी भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि में वादी एंव प्रतिवादी सं0 1 ता 7 तथा स्व0 श्योकोरी (माता) 1/18 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है।

वादपत्र की दफा 4 के अलावा वादी एंव प्रतिवादीगण के पिता के नाम से चकनं0 2 एचएम.एच में भी कृर्षि भूमि है। वादी की माता श्योकोरी फौत हो चुकी है। पारिवारिक विभाजन के समय प्रतिवादीसं0 1 से 4 ने बटवारां में अपने पास चक नं0 2 एचएम.एच की भूमि प्राप्त की व वादी को वादपत्र की दफा 4 में दर्ज भूमि प्राप्त हुई थी। वादपत्र की दफा 4 में अंकित भूमि में से प्रतिवादीसं0 5 से 7 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी वादी व प्रतिवादीसं0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर दिया था। वादपत्र की दफा 4 में दर्ज भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चल आ रहा है व वादी अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है लेकिन वादी के साथ अन्य प्रतिवादीगण का नाम अंकन रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है। इसलिए वादी वादपत्र की दफा 4 मे दर्ज भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर प्रतिवादीसं0 1 ता 7 का नाम खाता हाजा में से कलमजन करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 4 में दर्ज आराजी वादी अकेले के नाम अंकन करवाने व प्रतिवादीसं0 1 ता 7 व माता श्योकोरी का नाम कलमजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादीगण ने अदालत में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है व आपस में रक्त सम्बन्धी है। हम पक्षकारान का वादपत्र की दफा 4 में दर्ज भूमि का हम पक्षकारान के मध्य विभाजन हो गया था व विभाजन में हम प्रतिवादीगणसं0 5 ता 7 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग कर दिया था व प्रतिवादीगण ज्ञसं0 1 ता 4 को अन्य चक 2 एच.एम. एच में भूमि प्राप्त हुई थी जिस पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 काबिज है तथा वादपत्र की दफा 4 मे दर्ज भूमि वादी को घरू बटवारां मे प्राप्त हुई थी जिस पर वादी कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 19 जीजीआर के खाता सं0 140 मे से प्रतिवादीसं0 1 ता 7 व माता श्योकोरी का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है।हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है। राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो राजीनामा के साथ शामिल कर बाद तस्दीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उपरोक्त आराजी का वादपत्र की दफा 4 में दर्ज भूमि का आपस में राजीनामा हो गया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 व माता श्योकोरी के नाम से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 19 जीजीआर के खाता सं0 140 में प0न0 179/277 मु0 29 किलानं0 25/.253, प0न0 179/278 मु0 30 किलानं0 4 से 5/.506 है0, कुल भूमि 0.759 है0 नहरी भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 19 जीजीआर के खाता सं0 140 मे से प्रतिवादी सं0 1 ता 7 का नाम तथा स्व0 श्योकोरी का नाम व हिस्सा कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05-07-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

सहायक कलेक्टर टिब्बी

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर–96/2019

1. रामप्रताप पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. कृष्ण
2. भूप
3. ओमप्रकाश
4. राजेन्द्र

} पुत्रगण हनुमान जाति कुम्हार निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5. गीता पुत्री हनुमान पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार निवासी करडू तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. शान्ति पुत्री हनुमान पत्नी इमीलाल जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. राणी पुत्री हनुमान पत्नी पालाराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील वादी मिन जानिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 19 जीजीआर के खाता सं0 140 में प0न0 179/277 मु0 29 किलानं0 25/.253, प0न0 179/278 मु0 30 किलानं0 4 से 5/.506 है0, कुल भूमि 0.759 है0 नहरी भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 19 जीजीआर के खाता सं0 140 मे से प्रतिवादी सं0 1 ता 7 का नाम तथा स्व0 श्योकोरी का नाम व हिस्सा कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज........निल........मुब्लिक........निल........बाबत्.........निल..............खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05-07-2019 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner